

**कार्यक्रम,
राज्य, प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या- राजिप/परिषद सम्बद्धता/2020/5170

अवकाश दिनांक 14-9-2020

-कार्यालय काम-

विद्यमान कार्यालय कार्यालयी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यालयी कार्यालयी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा विहित सत्र 2020-21 हेतु विधिवत सत्रगत कार्यालयी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अन्तर्गत प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को उत्तर प्रदेश, प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग में बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अधिसूचित नई संस्थाओं को सम्बद्धता हेतु से सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विचार/पाठ्यक्रम/प्रवेश कक्षा सुविधा संबंधित प्रश्न विचार किये हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता संबंधित नई बैठक के पत्र-6 में विद्यमान इन कार्यालयी पाठ्यक्रम संबंधित कार्यालयी नई संस्था का प्रश्नगत रहा गया। सम्बद्धता संबंधित द्वारा सत्र विचार-निर्णय कर विचार-निर्णय किया गया।

सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता होने वाली विधिवत इन कार्यालयी संस्थाएं जिन्हें पीठरी/आईडॉ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है, को सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-निर्णय किया गया एवं सत्र 2020-21 हेतु निर्गत पीठरी/आईडॉ अनुमोदन पत्र के अन्तर्गत पर सर्वसम्मति से सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रसंगत संस्थाओं का स्थानीय निरीक्षण कराया जावे एवं निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में नूतन भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पीठरी/आईडॉ/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बद्धता बिना किसी शर्तों के समाप्त कर दी जाएगी।

यह विचारप्रवृत्त संवर्धित संस्था को परिषद को सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के अन्तर्गत प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विधिवत जारी की गयी पाठ्यक्रम एवं नई प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

| क्र. सं. | संस्था का नाम | पाठ्यक्रम का नाम | पीठरी/आईडॉ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्राप्त संस्था | परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्राप्त संस्था |
|----------|--|-----------------------------|---|--|
| 1 | विश्वविद्यालय, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सम्बद्धता पत्र सं. 11, सीट नं. 11-12, 11-13, 11-14, 11-15 | विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश | हां | हां |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- सत्र 2020-21 हेतु पीठरी/आईडॉ द्वारा निर्णय की गयी शर्तें का पूर्णतः पालन करनी।
- सत्र 2020-21 हेतु प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद द्वारा जारी उत्तर प्रदेश प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद विनियमावली का पालन करनी।
- सत्र 2020-21 हेतु प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद द्वारा जारी नूतन विहित विद्यार्थी एवं अध्यापक अनुमोदन फार्म का पालन करनी।
- सत्र 2020-21 हेतु प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद द्वारा जारी नूतन विहित विद्यार्थी एवं अध्यापक अनुमोदन फार्म का पालन करनी।
- सत्र 2020-21 हेतु प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद द्वारा जारी नूतन विहित विद्यार्थी एवं अध्यापक अनुमोदन फार्म का पालन करनी।

**कार्यालय,
राजिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिपा/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्राविधिक सत्र 2021-22 हेतु हिपॉथेमा स्तरिय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अर्जित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संवर्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदीं पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

संस्था का कोड एवं नाम : 1305-BBS INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL & ALLIED SCIENCES PLOT NO. 33, KNOWLEDGE PARK-III, GREATER NOIDA, G B NAGAR, U.P.-201306

| क्र०सं० | पाठ्यक्रम का नाम | ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---------|---------------------|--|---|
| 1 | DIPLOMA IN PHARMACY | 60 | 60 |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2015 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर खासून द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की न्यूनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अधिष्ठित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से आगामी सब हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी सी आई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई क्षति दायर किया जाता है तथा दायर वक के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त खाताकरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्नातक निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू०सं०- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिरिपि..

प्रधानाचार्य/निदेशक: BBS INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL & ALLIED SCIENCES PLOT NO. 33, KNOWLEDGE PARK-III, GREATER NOIDA, G B NAGAR, U.P.-201306